

प्रेषक,

डॉ० रजनीश दुबे,  
अपर मुख्य सचिव,  
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. मिशन अमृत के अंतर्गत चयनित, नगर पालिका परिषद के समस्त अधिशासी अधिकारीगण।
5. अमृत निकायों के अतिरिक्त जनपद मुख्यालय की नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारीगण।

नगर विकास अनुभाग-7

लखनऊ : दिनांक : 10 अप्रैल, 2022

विषय: प्रदेश के नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को सुन्दर बनाने हेतु दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 15.06.2022 तक 60 दिवसीय 12 सूत्रीय विशेष अभियान चलाये जाने के संबंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि प्रारम्भ में प्रदेश के समस्त नगर निगमों, मिशन अमृत के अन्तर्गत चयनित समस्त नगर पालिका परिषदों एवं जनपद मुख्यालय के नगर पालिका परिषदों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को सुन्दर बनाने हेतु दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 15.06.2022 तक 60 दिवसीय विशेष अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त के दृष्टिगत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त 60 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में साफ-सफाई के विषयगत पूर्व में निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुपालन के साथ में निम्नलिखित 12 सूत्रीय कार्यवाही सुनिश्चित की जायें :-

- i. स्थानीय निकाय में जहाँ दो लेन या उससे अधिक लेन की सड़कें हैं, वहाँ पर लोक निर्माण विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग/नगर निकाय आदि द्वारा अपने स्वामित्व वाली सड़कों पर मानक के अनुरूप लेन पेन्टिंग तथा जेब्रा क्रॉसिंग आदि की मार्किंग का कार्य कराया जाये। साथ ही साथ साइनेज चिन्ह के अतिरिक्त स्टैण्डर्ड बोर्ड लगाये जाये, जिससे निकायों में उक्त की एकरूपता बनी रहे।
- ii. स्मार्ट सिटीज के अन्तर्गत जंक्शन इम्प्रूवमेन्ट के जो कार्य प्रगति पर है, उन्हे उपरोक्त अवधि में पूर्ण किया जाये।

स्थानीय निकाय में जंक्शन पर सुगम यातायात के लिये लेफ्ट फ्री ट्रैफिक हेतु बोलार्ड लगाये जायें एवं आवश्यकतानुसार जंक्शन को चौड़ा किया जाये तथा फुटपाथ ठीक कराये जाये। स्थानीय निकायों में अवस्थित चौराहों को पूर्व में निर्गत संगत शासनादेशों के अधीन पी0पी0पी0 माडल पर भी विकसित कराया जाये।

- iii. वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने एवं AQI (Air Quality Index) को मानक के अनुरूप रखने हेतु वैज्ञानिक तरीके से रोड साइड प्लान्टेशन तथा ग्रीन बेल्ट विकसित किया जाये। अर्द्धविकसित/निर्माणाधीन पार्को के कार्यों को पूर्ण किया जाये तथा उनका सौन्दर्यीकरण कराया जाये। शहर में मुख्य स्थलों पर वर्टिकल गार्डन भी लगाये जाये। पार्को को पी0पी0पी0 माडल के आधार पर विकसित करने का कार्य किया जाये।
- iv. शहर के मुख्य स्थलों पर वॉल म्युरल्स तथा वॉल पेन्टिंग का कार्य विभिन्न थीम के आधार पर कराये जायें। इस हेतु नगर निगम वाराणसी एवं प्रयागराज के क्षेत्र में किये गये वॉल म्युरल्स तथा वॉल पेन्टिंग को उदाहरण के रूप में लिया जा सकता है।
- v. शहर के मुख्य बाजारों, प्रमुख सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, सांस्कृतिक एवं पर्यटक स्थलों पर दैनिक रूप में सांयकाल 4:00 से 8:00 बजे के बीच भी द्वितीय पाली में सफाई का कार्य किया जाये एवं कूड़े का उठान कराया जाये।
- vi. गार्बेज वर्नेबल प्वाइन्ट को शत-प्रतिशत समाप्त करते हुए उक्त स्थलों का सौन्दर्यीकरण कराया जाये तथा अविकसित सेकेण्डरी कलेक्शन प्वाइन्ट्स को चिन्हित करते हुये या तो काम्पैक्टर लगाये जाये अथवा उनको तीन तरफ से तीन फिट की आर0सी0सी0 दीवार एवं उसके ऊपर तीन फिट ग्रीन सीट लगाते हुए कवर किया जाये तथा एक तरफ गेट लगाया जाये।
- vii. शहर के मुख्य नाले जिनमें दुर्गन्ध आती है तथा प्रदूषण फैल रहा है, उनका बायो-रिमिडियेशन/फाइटो-रिमिडियेशन कराया जाये तथा उक्त कार्यों की साप्ताहिक मॉनिटरिंग भी की जाये।
- viii. आलोच्य अवधि में नालों/नालियों की सफाई का विशेष अभियान चलाया जाये, जिससे वर्षा काल में जलभराव की स्थिति न हो। इसके लिए विस्तृत माइक्रोप्लान बनाते हुए पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाये और सफाई के पूर्व एवं बाद के latitude और longitude के साथ फोटोग्राफ लेते हुए digital diary बनायी जाये।
- ix. सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों की डायरेक्टरी बनायी जाये तथा अभियान चलाकर बन्द/खराब सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों को ठीक कराया जाये एवं उनके अनुरक्षण व संचालन के लिए समुचित व्यवस्था की जाये।
- x. लिगेसी वेस्ट के निस्तारण का कार्य जिन निकायों में वर्तमान में प्रगति पर है, वहाँ साइट पर ट्रामेल्स की संख्या बढ़ायी जाये, जिससे वर्षाकाल के पूर्व अधिक से अधिक लिगेसी वेस्ट का निस्तारण हो सके।
- xi. जिन शहरों में वन सिटी वन आपरेटर के तहत निजी कम्पनियों द्वारा एस0टी0पी0 संचालन व सीवर के रखरखाव का कार्य किया जा रहा है, वहाँ के नगर आयुक्त द्वारा प्रबन्ध निदेशक, जल निगम के साथ मिलकर मेजर रिपेयर्स/रि-प्लेसमेन्ट के कार्यों हेतु आगणन तैयार कराते हुए तत्काल सुधार कार्य निष्पादित कराये जायें।
- xii. सम्पूर्ण शहर में होर्डिंग के स्थलों का चिन्हांकन कर उन्हें व्यवस्थित किया जाये एवं उनका मानकीकरण भी किया जाये। कुछ प्रोमिनेन्ट स्थलों पर स्थानीय निकाय की तरफ से डिजिटल होर्डिंग लगायी जाये, जिससे नागरिक

सुविधाओं के बारे में लोगों को जानकारी के साथ-साथ स्वच्छता आदि के बारे में जागरूक किया जा सके।

3. उक्त विशेष अभियान के दौरान निकायों में की जा रही कार्यवाही का पर्यवेक्षण करने हेतु शासन द्वारा नामित अधिकारी निकायों में भ्रमण कर विशेष अभियान के दौरान की जा रही कार्यवाही की रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करायेंगे।

4. विशेष अभियान के दौरान निकायों में की जा रही कार्यवाही की साप्ताहिक सूचना संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप (संलग्न-1 एवं 2) पर निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को प्रत्येक सोमवार उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक, स्थानीय निकाय द्वारा उक्त सूचना संकलित कर प्रत्येक मंगलवार शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।


**संलग्नक: यथोक्त।**

भवदीय,  
  
(डॉ० रंजनीश दुबे)  
अपर मुख्य सचिव।

**संख्या एवं दिनांक तदैव।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवगतार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।

आज्ञा से,  
  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

संलग्नक-1

नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को स्वच्छ रखने हेतु दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 15.06.2022 तक 60 दिवसीय विशेष अभियान की सूचना।

क्र० सं०	जनपद का नाम	नगर निकाय का नाम	सड़कों पर मानक के अनुरूप लेन पेन्टिंग, जेब्रा क्रॉसिंग की मार्किंग		लगाये गये स्टैण्डर्ड बोर्ड की संख्या	रोड साईड प्लान्टेशन के दौरान लगाये गये पौधों की संख्या/विकसित किये गये ग्रीन बेल्ट की संख्या	शहर के मुख्य स्थलों पर लगाये गये वर्टिकल गार्डन की संख्या	पूर्ण कराये गये अर्धविकसित / निर्माणाधीन पार्कों की कुल संख्या	वॉल म्युरल्स/वॉल पेन्टिंग		गार्बेज वर्नबल प्वाण्ट ( जी०वी०पी०)		काम्पैक्टर / तीन तरफ से घेर कर विकसित किये गये सेकेन्ड्री कलेक्शन प्वाइन्ट्स की संख्या	टीक कराये गये सार्वजनिक/ सामुदायिक शौचालयों की संख्या	निकाय द्वारा लगाये गये डिजिटल होल्डिंग की संख्या	निस्तारित किये गये लिगेसी वेस्ट की कुल मात्रा (मिट्रीक टन में)
			संख्या	लम्बाई					संख्या	क्षेत्रफल	विशेष अभियान से पूर्व कुल जी०वी०पी० संख्या	अभियान के दौरान समाप्त किये गये जी०वी०पी० की संख्या				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																

संलग्नक-2

नगर निकायों में नगरीय सुविधाओं के स्तरोनयन एवं शहरों को स्वच्छ रखने हेतु दिनांक 15.04.2022 से दिनांक 15.06.2022 तक 60 दिवसीय विशेष अभियान के दौरान नाला सफाई की सूचना।

क्र० सं०	निकाय का नाम	नालों की संख्या				नालों की लम्बाई (मी० में)				सफाई किये गये नालों की संख्या				सफाई किये गये नालों की कुल लम्बाई (मी० में)				विशेष अभियान के दौरान बायोरिमिडियेशन/ फाइटोरिमिडियेशन कराये गये नालों की संख्या
		बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	बड़े नाले	मझोले नाले	छोटे नाले	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1																		
2.																		
3.																		